(ग्रामीण क्षेत्र हेतु)

खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन–पत्र

(दस्तावेज साक्ष्य के अभाव में निरस्तनीय होगा)

सेवा में,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय / जिला रसद अधिकारी,

उपखण्ड..

....

प्रथम अपील :– खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत समाविष्ट करने हेतु अपील प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपीलार्थी निम्न अपील प्रस्तुत करता है:–

1. अपीलार्थी...पुत्र / पुत्री / श्रीमती / श्री...............................जाति.......................... ....उम्र......................निवासी ग्राम पंचायत................................तहसील.................................पंचायत समिति...... ....का स्थाई निवासी है एवं ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है।
2. मुखिया एवं पूरे परिवार का विवरण :

क. सं.	नाम	माता का नाम	पिता का नाम	मुखिया के साथ संबंध	लिंग	जन्म दिनांक	राशन कार्ड संख्या	यूनिक आई. डी.नं.	भामाशाह कार्ड नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				स्वयं					
2									
3									
4									
5									

3. राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में ग्रामीण क्षेत्र में समावेशन हेतु समावेशन के पात्रता संबंधी मापदण्ड निर्धारित किये गये है, जो निम्न प्रकार है:–

समावेशन(Inclusion) की प्राथमिकता श्रेणी

1. अन्त्योदय परिवार
2. बीपीएल परिवार
3. स्टेट बीपीएल परिवार
4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
5. ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओ में शामिल नही है तथा निम्न योजनाओ / वर्गो में शामिल है, उन्हे खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा:–

(A) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना

vikramemitra.in

(B) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
(C) मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
(D) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
(E) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
(F) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
(G) महानरेगा में 2009–10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार
(H) मुख्यमंत्री निराश्रित पुर्नवास परिवार योजना
(I) सहरिया एवं कथौड़ी जनजाति परिवार
(J) भूमिहीन कृषक
(K) कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
(L) सीमान्त कृषक
(M) वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त (Exclusion) पात्र नही शर्तो में न आते हो।

6. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार
7. समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण,जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग,अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलो के हॉस्टल)
8. एकल महिलाऐं
9. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
10. पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
11. कचरा बीनने वाले परिवार
12. उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
13. साईकिल रिक्शा चालक
14. पोर्टर (कुली)
15. कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
16. घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वनबागरिया, गाडियालुहार, भेड़ पालक
17. वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
18. लघु कृषक
19. आस्था कार्डधारी परिवार
20. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार विनारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति

4. अपीलार्थी उपरोक्त समावेशन प्राथमिकता श्रेणियो..में अभिलिखित उपवर्ग................................की श्रेणी का व्यक्ति है,जिसके साक्ष्य के रूप में दस्तावेज.................................... संलग्न है।

5. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो हेतु निर्धारित निष्कासन(Exclusion) श्रेणी(पात्र नही) में वर्णित निम्नलिखित छः अपात्रताओ में से कोई अपात्रता अपीलार्थी में नही है:–

A. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो।
B. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओ में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है।

vikramemitra.in

C. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी सदस्य के पास चारपहिया वाहन हो(ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो।)
D. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यो के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघुकृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।
E. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यो की कुल आय एक लाख वार्षिक से अधिक हो।
F. ऐसे परिवार, जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।

नोटः— निष्कासन के नियम सभी श्रेणियो पर समान रूप से लागू होंगे।

6. अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के परिवार, जिसका राशन कार्ड संख्या.......................है को ग्राम............ ....ग्राम पंचायत...तहसील..................................पंचायत समिति..................... ....में खाद्य सुरक्षा योजना की समावेशन सूची में समावेशन प्राथमिकता श्रेणी.. .... का आदेश जारी करावे।(समावेशन श्रेणी का नाम लिखे)

नोटः— आवेदन पत्र के साथ यदि आपने अपनी समावेशन श्रेणी का कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नही किया है तो आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर आवेदक को बकाया दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा कराने के लिये अधिकतम 15 दिवस का समय ओर दिया जायेगा।

संलग्न दस्तावेजो की सूचीः—

1.
2.
3.
4.

हस्ताक्षर अपीलार्थी

नाम—
पिता का नाम—
माता का नाम—
मोबाईल नम्बर—
पता—

vikramemitra.in

<u>शपथ पत्र/स्वघोषणा</u>

मैं..पुत्र/पत्नी श्री..निवासी..... ....यह घोषणा करता/करती हूॅ कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 20.07.2017 के बिनदु संख्या 5 में अंकित निष्कासन की श्रेणियो में मैं/मेरा परिवार जांच में निष्कासन की श्रेणियो में शामिल होना पाया जाता है तो मेरे/हमारे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

(हस्ताक्षर अपीलार्थी)
दिनांक :
स्थान :

vikramemitra.in

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की जाँच रिर्पोट प्रपत्र

प्रार्थी श्री/श्रीमती..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..जाति...... ....निवासी..तहसील.....................................जिला.............. ....(राज0) द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र की मौका/रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी विभागीय अधिसूचना दिनांक 25.07.2016 की समावेशन एवं निष्कासन श्रेणी के बिन्दुओ के सम्बन्ध में जाँच की गई। बाद जाँच अनुसार प्रार्थी समावेशन/निष्कासन की पात्रता रखता/रखती है। अतः प्रार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करने की या नही करने की निचे दिये गये बिन्दुओं की जाँच रिर्पोट अनुसार अभिशंषा की जाता है।

क्र0 स0	जाँच बिन्दु का विवरण	जाँच रिर्पोट
1.	अपीलार्थी के परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दताा है या नही।	
2.	ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायतशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है या नही।	
3.	ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्य के पास चार पहिया वचाहन हो(ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जो भी जिविकापार्जन के उपयोग में आता हो)	
4.	ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल भूमि लघुकृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।	
5.	ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रुपये से अधिक हो। (आय प्रमाण पत्र/शपथ पत्र संलग्न करें)	
6.	ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान न हो।	

- प्रार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समावेशन श्रेणी के बिन्दु संख्या .... के तहत खाद्य सुरक्षा का पात्र है।

अथवा

- प्रार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की निष्कासन श्रेणी बिन्दु संख्या.....................................के तहत खाद्य सुरक्षा का अपात्र है।

ग्राम विकास अधिकारी   पटवारी हल्का

vikramemitra.in